[2019] 12 एस. सी. आर 1

विनित गारग और अन्य

वी.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1510)

अगस्त 29,2019

[उदय उमेश ललित और संजीव खन्ना, जे. जे.]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956: दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थान -

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) की मंजूरी-की आवश्यकता-आयोजितः अन्य वैधानिक नियामकों के साथ-साथ यू. जी. सी. और ए. आई. सी. टी. ई. को तकनीकी पाठ्यक्रमों को विनियमित करने की शक्तियां दी गई हैं।

दूरस्थ शिक्षा पद्धति-दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए यू. जी. सी. और ए. आई. सी. टी. ई.-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1989 की स्वीकृति और मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः महाविद्यालय प्रवेश-तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थान

दूरस्थ शिक्षा पद्धति-यू. जी. सी. और ए. आई. सी. टी. ई. की स्वीकृति आवश्यकता-तथ्यों पर, याचिकाकर्ता-तकनीकी में डिप्लोमा धारक

फील्ड, सरकार के साथ काम करते हुए, B.Tech के लिए चुना गया। द्वारा संचालित दूरी मोड कार्यक्रम के माध्यम से डिग्री पाठ्यक्रम

संस्थान-टी. आई. ई. टी. (मानद विश्वविद्यालय)-उक्त संस्थान को दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी. ई. सी.) द्वारा अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी

एक साल के लिए पाठ्यक्रम शुरू करें-उसके आधार पर, टी. आई. ई. टी. की पेशकश की गई B.Tech। कामकाजी पेशेवरों के लिए डिग्री जिनके पास डिप्लोमा था और

शैक्षणिक वर्षों में इंजीनियरिंग में संबंधित शाखाओं में दो साल का अनुभव 2007-08 और 2008-09-याचिकाकर्ताओं ने लिया

यह मानते हुए स्वीकार करना कि सभी अनुमोदन हो चुके हैं-लिखित याचिका

याचिकाकर्ताओं द्वारा स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कि टी. आई. ई. टी. से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त B.Tech डिग्री मान्य, मान्यता प्राप्त हैं और इन्हें नियमित रूप से दी जाने वाली डिग्री के

बराबर माना जाना चाहिए। छात्र-यू. जी. सी. द्वारा उक्त डिग्री को वैध मानने से इनकार करना क्योंकि उक्त पाठ्यक्रम यू. जी. सी. की मंजूरी के बिना आयोजित किए गए थे और

ए. आई. सी. टी. ई.-आयोजितः द्वारा यू. जी. सी. और ए. आई. सी. टी. ई. की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी

[2019] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगम लिमिटेड-I मामला-याचिकाकर्ताओं और टी. आई. ई. टी. ने उड़ीसा लिफ्ट-I मामले में फैसले का गलत अर्थ निकाला-उन्होंने कई मामलों की अनदेखी की। उड़ीसा लिफ्ट-I मामले में विकास, पत्राचार, नीतिगत निर्णय और अधिसूचना देखी गई-इसके अलावा, अस्थायी मान्यता

डी. ई. सी. द्वारा कानून के विपरीत था-सरकार ने माना था कि

टी. आई. ई. टी. तकनीकी पाठ्यक्रमों में स्नातक की डिग्री देने के लिए सक्षम नहीं है। दूरी मोड के माध्यम से।

उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I का मामला-कथन का उच्चारण-समझाया और स्पष्ट किया गया-आयोजितः मंजूरी तकनीकी शुरू करने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. और यू. जी. सी. का अनिवार्य

दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा पाठ्यक्रम।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956: इसका उद्देश्य

अधिनियम-उल्लिखित।

रिट याचिका खारिज करते हुए अदालत ने पकड़नाः 1.1 शुरू करने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी अनिवार्य थी।

बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम। टी. आई. ई. टी., पटियाला द्वारा ए. आई. सी. टी. ई. की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। [पैरा 11] [17-सी]

1.2 नई संस्थाओं की स्थापना के लिए दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 4

कैम्पस के भीतर विभाग, ऑफ-कैम्पस सेंटर/संस्थान/ऑफ-शोर कैम्पस की स्थापना और शुरुआती दूरी

मानद विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए गए शिक्षा कार्यक्रम

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम/अध्ययन केंद्र बिना शुरू किए गए यू. जी. सी./डी. ई. सी. की विशिष्ट मंजूरी। पैराग्राफ 5 तत्काल मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि डिग्री पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद शुरू किए गए थे

2004 के दिशानिर्देशों का अधिनियमन। [पैरा 12] [18-ए-सी] विनित गारग और अन्य बनाम।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य

1.3 याचिकाकर्ताओं और टी. आई. ई. टी., पटियाला का गलत अर्थ निकाला गया

उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I का अनुच्छेद 49। उक्त अनुच्छेद ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा जारी 1994 के विनियमों को संदर्भित करता है जिसके तहत कोई भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम नहीं हो सकता है।

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग या कॉलेज सहित किसी भी तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत, सिवाय इसके कि ए. आई. सी. टी. ई. के अनुमोदन से। पैराग्राफ 49 विश्वविद्यालयों से संबंधित है।

जिसमें नियमित रूप से डिग्री पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले मानित विश्वविद्यालय शामिल हैं। यह अनुच्छेद विशेष रूप से मानित विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

भले ही स्वीकृत नियमित पाठ्यक्रमों के साथ एकीकृत रूप से जुड़ा हो।

पूर्वगामी विश्लेषण तब स्पष्ट हो जाता है जब उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I को पूरी तरह से पढ़ा जाता है, विशेष रूप से अनुच्छेद के तुरंत पूर्ववर्ती, अर्थात अनुच्छेद 48, जिसमें यह

विशेष रूप से निर्धारित और अनिवार्य किया गया है कि क्या

इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने वाले विषयों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाएगा या नहीं।

ए. आई. सी. टी. ई. इस प्रकार, वैधानिक प्रावधानों और यू. जी. सी. या ए. आई. सी. टी. ई. की पूर्व मंजूरी की कमी को देखते हुए, टी. आई. ई. टी., पटियाला दूरस्थ मोड के माध्यम से तकनीकी पाठ्यक्रमों में स्नातक डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं था। [पैरा 13-15] [19-C-D; 20-A-D]

1.4 यह याचिका कि याचिकाकर्ता राहत के हकदार हैं जैसा कि उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड I और II में याचिकाकर्ताओं को दिया गया था, खारिज कर दिया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई थी। जिन उम्मीदवारों ने 2005 या उसके बाद प्रवेश लिया था। राहत

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के माध्यम से एक बार की छूट के रूप में उन उम्मीदवारों/छात्रों को दी गई थी जिन्होंने प्रारंभिक शैक्षणिक वर्षों में प्रवेश लिया था। 2001 से और 2004-2005 तक। [पैरा 18] [22-जी-एच]

1.5 टी. आई. ई. टी., पटियाला ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में डी. ई. सी. के साथ पत्राचार का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है

B.Tech शुरू करें। सिविल इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान में पाठ्यक्रम

और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनके दिनांकित पत्र के माध्यम से

17 मई, 2006 और डी. ई. सी. का जवाब 16 [2019] 12 एस. सी. आर. के अपने पत्र के माध्यम से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जून, 2006 में कहा गया कि इस तरह की मंजूरी तभी दी जा सकती है जब

एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पाठ्यक्रम सामग्री का मूल्यांकन और जिसके लिए टी. आई. ई. टी., पटियाला को अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना चाहिए। इसके बाद टी. आई. ई. टी., पटियाला ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आवश्यक प्रारूप में आवेदन और एक विशेषज्ञ समिति

टी. आई. ई. टी., पटियाला द्वारा प्रदान की जाने वाली आधारभूत संरचना और अन्य सेवाएं आदि। विशेषज्ञ समिति, जिसमें निदेशक, स्कूल ऑफ

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, इग्नू ने एक अनुकूल रिपोर्ट दी जिसके बाद अनंतिम मान्यता पत्र दिनांकित किया गया 31 डी. ई. सी. द्वारा अगस्त 2007 में टी. आई. ई. टी., पटियाला को अनुमति जारी की गई थी।

पाठ्यक्रम शुरू करें। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा 23 मई, 2007 को जारी प्रेस नोट का भी संदर्भ दिया गया था।

भारत सरकार, जिसने दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों की एक सूची प्रकाशित की थी। इस सूची में टी. आई. ई. टी. पटियाला भी शामिल था। [पैरा 19] [23-ए-डी]

1.6 याचिकाकर्ताओं ने 3 तारीख के पत्र पर भी भरोसा किया

सितंबर, 2007 में डी. ई. सी. द्वारा टी. आई. ई. टी., पटियाला को पत्र लिखकर उन्हें प्रस्तावित कार्यक्रमों में एक वर्ष के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की गई।

दूरी के माध्यम से। उक्त पत्र में कहा गया है कि टीआईईटी, पटियाला

डी. ई. सी. को एक आवेदन दिया था जिसमें दूरस्थ मोड के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों की मान्यता का अनुरोध किया गया था और उनके पास था

इस तरह के कार्यक्रमों की पेशकश के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की गई। पत्र में लिखा है कि एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था

टी. आई. ई. टी., पटियाला द्वारा लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के बारे में कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं दिया गया था और न ही आवेदन की तारीख दाखिल किया गया था संकेत दिया गया है। पत्र में ए. आई. सी. टी. ई. या यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदन का भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा टी. आई. ई. टी., पटियाला को जून से अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए एक नया आवेदन जमा करना था।

जुलाई 2008। [पैरा 20] [23-ई; 24-जी-एच]

बी. टेक शुरू करने से पहले। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री पाठ्यक्रम। डी. ई. सी. द्वारा अस्थायी मान्यता कानून के विपरीत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डी. ई. सी. 2004 के दिशानिर्देशों के संदर्भ में कानून का उल्लंघन करने के लिए समान रूप से दोषी होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य

यू. जी. सी. और ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम द्वारा जारी किया गया। उक्त के संदर्भ में 1 मार्च 1995 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I में दूरी पर उद्धृत किया गया है।

मानित विश्वविद्यालयों आदि द्वारा भी शिक्षा कार्यक्रम

ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी आवश्यक थी। [पैरा 21] [25-ए-सी]

1.8 टी. आई. ई. टी., पटियाला स्वीकार करता है कि कोई अनुमोदन, अस्थायी या

अन्यथा, अगले शैक्षणिक वर्ष यानी जून के लिए दिया गया था।

जुलाई 2008, फिर भी B.Tech। दूरी के माध्यम से डिग्री कार्यक्रम

टी. आई. ई. टी., पटियाला द्वारा कानूनों और कानून के विपरीत शैक्षणिक वर्ष जून-जुलाई 2008 के लिए मोड की पेशकश की गई थी। टी. आई. ई. टी., पटियाला, न्यायसंगत ठहराने के लिए

शैक्षणिक वर्ष में दाखिले 2008-2009 ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में पत्राचार और प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है बी. टेक की पेशकश के लिए यू. जी. सी. को आवेदन। डिग्री पाठ्यक्रम

शैक्षणिक सत्र के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से अर्थात 2008-2009। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि टी. आई. ई. टी., पटियाला ने आवेदन नहीं किया था

पिछले शैक्षणिक सत्र के लिए यू. जी. सी. को अर्थात 2007-2008। इसके बाद, अतिरिक्त शपथ पत्र पत्राचार को संदर्भित करता है।

डी. ई. सी. और टी. आई. ई. टी., पटियाला के बीच आदान-प्रदान किया गया जिसके अनुसार प्रशासन और प्रबंधन का आकलन करने के लिए यू. जी. सी., डी. ई. सी. और ए. आई. सी. टी. ई. के सदस्यों की एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

टी. आई. ई. टी. द्वारा प्रस्तावित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का प्रबंधन, पटियाला, किस पैनल ने 2 जून, 2009 को उनके परिसर का दौरा किया था

और पाँच साल की अवधि के लिए सात कार्यक्रमों को मान्यता देने की सिफारिश की थी। हालांकि, केंद्रीय

सरकार ने धारा 20 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया था

यू. जी. सी. अधिनियम और एक नीतिगत निर्णय के संदर्भ में, 29 जुलाई, 2009 को एक अधिसूचना जारी की गई कि B.Tech। डिग्री नहीं दी जाएगी।

मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से। इस नीतिगत निर्णय को देखते हुए, डी. ई. सी. को विभिन्न संस्थानों को B.Tech आयोजित करने की अनुमति तुरंत वापस लेनी पड़ी। डिग्री पाठ्यक्रम के माध्यम से

दूरस्थ शिक्षा मोड और चालू वर्ष में और उसके बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया था। हालांकि, अधिसूचना में कहा गया है

कि जिन लोगों को पहले ही प्रवेश दिया जा चुका था, उन्हें व्यावहारिक और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जैसा कि निर्धारित किया जाए ताकि -

B.Tech प्राप्त करें। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री।

[पैरा 22,23] [25-एफ-एच; 26-ए-डी] [2019] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.9 याचिकाकर्ताओं और टी. आई. ई. टी. की प्रस्तुति/विवाद,

पटियाला कई घटनाक्रमों को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है, पत्राचार और लिए गए नीतिगत निर्णय

नवंबर, 2005 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई तकनीकी संस्थान नहीं सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/निजी संस्थान, चाहे वह किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो या नहीं, नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा या

ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी के बिना उसी के लिए सेवन बढ़ाएँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल, 2006 को जारी अधिसूचना

धारा 20 (1) के तहत केंद्र सरकार में निहित शक्तियों का यू. जी. सी. अधिनियम और ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 20 (1) ने मानकों को बनाए रखने के लिए यू. जी. सी. और ए. आई. सी. टी. ई. की भूमिका को स्पष्ट किया था।

शिक्षा और यह कि मानित विश्वविद्यालय होने की आवश्यकता है उक्त परिषद के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को बनाए रखना। यह था।

इसके बाद ए. आई. सी. टी. ई., यू. जी. सी. द्वारा जारी एक संयुक्त सार्वजनिक सूचना और 4 फरवरी, 2007 को डी. ई. सी. सार्वजनिक सूचना में आगाह किया गया था कि विश्वविद्यालयों/संस्थानों/मानित विश्वविद्यालयों की पेशकश

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम

संबंधित वैधानिक परिषदों के अलावा, सभी पाठ्यक्रमों और दूरस्थ मोड में अध्ययन के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। डी. ई. सी. की मंजूरी। तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निकट सहयोग से काम करने के लिए यू. जी. सी., ए. आई. सी. टी. ई. और डी. ई. सी. के बीच 10 मई, 2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

देश में मोड। ये पहलू और विवाद थे - उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I में विचार किया गया और यह

माना गया है कि B.Tech। डी. ई. सी. की मंजूरी के बिना और ए. आई. सी. टी. ई. और यू. जी. सी. की किसी विशिष्ट मंजूरी के बिना दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती थी।

तीनों की मंजूरी के बिना ऐसी उपाधियों का पुरस्कार अमान्य था। और पहचाना नहीं जा सकता है। [पैरा 24,25] [26-ई-जी; 27-ई-जी] विनित गारग और अन्य बनाम।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य

1.10 डी. ई. सी. की कार्यप्रणाली काफी मजबूत हुई है।

कई हलकों में आलोचना। 2006 तक डी. ई. सी. ने 23 विश्वविद्यालयों के लगभग 45 कार्यक्रमों के लिए आवेदनों को मंजूरी दी थी।

लगभग 200 कार्यक्रम। 2007 में, डी. ई. सी. ने कार्यक्रम अनुमोदन प्रक्रिया और संस्थागत प्रणाली को निरस्त कर दिया।

पहचान शुरू हो गई। इस निर्णय के अनुसार, संस्थान के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित सभी कार्यक्रमों को माना गया था डी. ई. सी. की मान्यता प्राप्त करना। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, कम समय के भीतर, अनुमोदित कार्यक्रमों की संख्या बढ़कर

2010 में 3000 से अधिक। डी. ई. सी. के अनंतिम मान्यता पत्र में समान रूप से कहा जाएगा कि इस तरह के कार्यक्रम शुरू करने से पहले, अन्य नियामक निकायों से आवश्यक अनुमोदन होना चाहिए -

मान्यता/अनुमोदन के बिना दूरी मोड के माध्यम से कार्यक्रम ए. आई. सी. टी. ई या यू. जी. सी. इसने व्यावसायीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था और यह एक प्रतिगामी कदम था जिसके परिणामस्वरूप व्यापार में गिरावट आई थी।

मुक्त शिक्षण कार्यक्रमों/डिग्री की गुणवत्ता। अपनी उंगलियों को जलाने के बाद, डी. ई. सी. कार्यक्रम की मान्यता पर वापस चला गया।

डी. ई. सी. को अंततः 2013 में समाप्त कर दिया गया था। [पैरा 26] [27-एच; 28 - ए-सी]

1.11 उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I में, इस न्यायालय ने 29 दिसंबर, 2012 को जारी आदेश पर ध्यान दिया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सरकार द्वारा शिक्षा के मानकों को विनियमित करने के लिए भारत सरकार

यह ठहराने के लिए कि डी. ई. सी. की एकतरफा मंजूरी अमान्य थी, दूरी मोड के माध्यम से। उक्त आदेश ने सही ढंग से सराहना की कि डी. ई. सी. अन्य विश्वविद्यालयों के लिए नियामक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि उक्त आदेश ने निश्चित रूप से यू. जी. सी. को निहित किया था और एआईसीटीई, अन्य वैधानिक नियामकों के बीच, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों को विनियमित करने की शक्तियों के साथ और इस तरह के पाठ्यक्रम प्रदान करने के इच्छुक संस्थानों के लिए इसे अनिवार्य बना दिया।

उनके अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम। [पैरा 27]

[28 - डी-ई; 29-बी-सी]

उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। रबी शंकर पात्रो और अन्य (2018) 1 एस. सी. सी. 468-समझाया और उस पर भरोसा किया।

[201

9] 12 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीदासन विश्वविद्यालय और एक अन्य v. अखिल भारतीय

तकनीकी शिक्षा और अन्य परिषद (2001) 8

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कुलसचिव बनाम। सचिव को सरकार, सूचना और पर्यटन विभाग और

अन्य (2009) 4 एस. सी. सी. 590: [2009] 3 एस. सी. आर. 355; राज्य

2 एससीआर 1075; उस्मानिया विश्वविद्यालय शिक्षक संघ वी. आंध्र प्रदेश राज्य और दूसरा (1987) 4 एस. सी. सी.

671 [1987] 3 एससीआर 949; एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट

निजी महाविद्यालयों का बनाम अखिल भारतीय तकनीकी परिषद शिक्षा और अन्य (2013) 8 एससीसी 271: [2013] 6

एससीआर 1054; उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वी. रबी शंकर पात्रो और अन्य (2018) 2 एस. सी. सी. 298:

[2018] 1 एस. सी. आर. 839 संदर्भित है।

मामला

कानून संदर्भ

[2001] 3 पूरक। एससीआर 253

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2009] 3 एससीआर 355

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[1995] 2 एससीआर 1075

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1987] 3 एससीआर 949

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2013] 6 एससीआर 1054

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2018] 1 एससीआर 839

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

(2018) 1 एस. सी. सी. 468

समझाया।

पैरा 11-14,

& उस पर भरोसा करें

18 , 21 , 24 , 25

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णयः पे लिखें

(सिविल) 2018 की सं. 1510

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. अभिनव राव, अधिवक्ता। याचिका के लिए

निखिल नय्यर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अपूर्व कुरुप, सुश्री निधि मित्तल,

खन्ना, टी. वी. एस. राघवेंद्र श्रेयस, श्रीमती गायत्री गुलाटी श्रेयस, सोनी, हरीश पांडे, टी. ए. खान, जी. एस. मक्कर, अधिवक्ता।

रेस्पॉन विनित गार्ग और अन्य v के लिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

1. याचिकाकर्ताओं, जिनकी संख्या 92 है, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका में विश्वविद्यालय को निर्देश देने का अनुरोध किया है।

अनुदान आयोग, (इसके बाद 'यू. जी. सी.' के रूप में संदर्भित) एक

स्पष्टीकरण कि प्रौद्योगिकी स्नातक की डिग्री (इसके बाद 'B.Tech' के रूप में संदर्भित)।) थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से खुले और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उनके द्वारा अधिग्रहित, पटियाला, (इसके बाद 'टी. आई. ई. टी., पटियाला' के रूप में संदर्भित) मान्य, मान्यता प्राप्त हैं।

और टी. आई. ई. टी., पटियाला और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में इस तरह के पाठ्यक्रम शुरू करने वाले नियमित छात्रों को दी जाने वाली डिग्री के बराबर माना जाना चाहिए।

कि B.Tech। टी. आई. ई. टी., पटियाला द्वारा संचालित पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मंजूरी और अनुमोदन के बिना थे। (इसके बाद 'ए. आई. सी. टी. ई.' के रूप में संदर्भित)।

3. याचिकाकर्ता जो सिविल/कंप्यूटर विज्ञान/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक हैं और इसमें काम कर रहे हैं

पंजाब सरकार ने कहा है कि उन्हें B.Tech के लिए चुना गया था। दूरी मोड कार्यक्रम के माध्यम से डिग्री पाठ्यक्रम

टी. आई. ई. टी., पटियाला द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा का आधार, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'यू. जी. सी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय माना जाता है। द.

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टी. आई. ई. टी., पटियाला को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रमुख इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में से एक के रूप में दर्जा दिया गया है। विकास, भारत सरकार की स्थापना 1956 में तकनीकी शिक्षा के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और इसका 250 एकड़ का परिसर पटियाला में स्थित है, जिसमें 301 पीएच. डी. धारकों सहित 391 शिक्षक संकाय हैं और यह 11 स्नातक पाठ्यक्रम और 23 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है।

विकास, भारत सरकार ने उक्त संस्थान को मान्यता दी है / संस्थान को टियर-I मान्यता में रखने के अलावा विश्वविद्यालय ग्रेड 'ए' का दर्जा माना जाता है। दूरस्थ शिक्षा परिषद (इसके बाद संदर्भित

'डी. ई. सी.' के रूप में) ने अपने 3 सितंबर, 2007 के पत्र के माध्यम से टी. आई. ई. टी., पटियाला को कार्यक्रमों की पेशकश के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की थी।

एक वर्ष की अवधि के लिए दूरी मोड जिसके आधार पर टी. आई. ई. टी., पटियाला ने B.Tech की पेशकश की थी। पहले से काम कर रहे पेशेवरों के लिए सिविल/कंप्यूटर विज्ञान/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री

डिप्लोमा था और शैक्षणिक वर्षों 2007-08 और 2008-09 में इंजीनियरिंग में संबंधित शाखाओं में कम से कम दो साल का अनुभव था। 29 जुलाई, 2009 के बाद कोई प्रवेश नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने यह मानते हुए प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था कि सभी मंजूरी मिल चुकी हैं। याचिकाकर्ता, भारतीदासन विश्वविद्यालय में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए और एक अन्य v. अखिल भारतीय

तकनीकी शिक्षा और अन्य परिषद ने तर्क दिया है कि एक मानित विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एक विभाग शुरू करने के लिए एआईसीटीई से पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। तकनीकी शिक्षा। अनुच्छेद 49 का संदर्भ दिया गया था

उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। रबी शंकर पात्रो और अन्य 2 (इसके बाद उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I के रूप में संदर्भित) यह दावा करने के लिए कि टी. आई. ई. टी., पटियाला, पाठ्यक्रम शुरू करने और जारी करने के लिए अधिकृत एक प्रमुख संस्थान है।

उपरोक्त तकनीकी क्षेत्रों में डिग्री के लिए ए. आई. सी. टी. ई. से कोई अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं थी। रिलायंस को सिविल अपील संख्या में 10 अप्रैल, 2018 के आदेश और फैसले पर भी रखा गया था। 3697-3698 2018 का

जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाम। तेलंगाना लिमिटेड के पारेषण निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। परिसर के बाहर कोई केंद्र या अध्ययन केंद्र और सभी निर्देश नहीं थे। टी. आई. ई. टी., पटियाला के परिसर में पारंपरिक B.Tech में उपयोग किए जाने वाले समान संकाय और बुनियादी ढांचे का उपयोग करके व्यावहारिक और परीक्षाएँ आयोजित की गईं। पाठ्यक्रम। पढ़ाई उच्च स्तर की थी क्योंकि छात्रों को डिग्री हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल के साथ 42 विषयों को पास करना पड़ता था। 1168 में से

B.Tech में प्रवेश लेने वाले छात्र। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से केवल 822 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। 4. हम शुरू में ही लिख सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने हार मान ली है और यह तर्क नहीं उठाया है कि निर्णय हम में से किसी एक द्वारा लिखा गया है।

(उदय उमेश ललित, जे.) उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड I में अनुपात के लिए इनक्यूरियम में निर्णय के विपरीत है।

1 (2001) 8 एस. सी. सी. 676

किसी भी संदेह और बहस से परे। 6. यू. जी. सी. अधिनियम भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए बनाया गया था, जिसमें यू. जी. सी. को विश्वविद्यालयों और संस्थानों में उच्च शिक्षा के प्रचार और समन्वय के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया गया था। इसलिए यू. जी. सी. उच्च शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान में मानकों का निर्धारण और रखरखाव सुनिश्चित करता है। इन मानकों को तय करने और लागू करने के लिए, यू. जी. सी. ने नियम और विनियम बनाए हैं, और यू. जी. सी. अधिनियम के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

7. अन्नामलाई विश्वविद्यालय में यू. जी. सी. अधिनियम का उल्लेख करते हुए

पंजीयक द्वारा प्रतिनिधित्व v. सरकार के सचिव, सूचना और पर्यटन विभाग और अन्य, 3 इस न्यायालय ने कहा था कि डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी चीजों के संबंध में कोई छूट नहीं दी जा सकती है और यदि किसी प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है, तो कार्रवाई अमान्य होगी। अन्नामलाई विश्वविद्यालय (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय में कुछ तथ्य हैं -

इसके लिए प्रासंगिकता ने यू. जी. सी. अधिनियम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद 'मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों और दोनों के बीच कथित घृणा के बीच परस्पर क्रिया की जांच की थी। यह देखा गया कि यू. जी. सी. अधिनियम विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था और इस उद्देश्य के लिए, यू. जी. सी. की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में अध्याय III में निर्धारित अपनी शक्तियों और कार्यों के साथ की गई थी। यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 12 में यू. जी. सी. के कार्यों का प्रावधान है, जिनके प्रासंगिक प्रावधानों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 12. आयोग के कार्य। आयोग का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह आयोग के साथ परामर्श करके विश्वविद्यालय या अन्य संबंधित निकाय, ऐसे सभी कदम जो वे उठा सकते हैं।

विश्वविद्यालय शिक्षा के संवर्धन और समन्वय के लिए उपयुक्त सोचें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए

विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान, और

इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने का उद्देश्य, आयोग मई

एक्स

एक्स

ए

क्स

(घ) किसी भी विश्वविद्यालय को इसके लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालय को सलाह देना।

इस प्रकार के कार्यान्वयन के उद्देश्य से की जाने वाली कार्रवाई पर

सिफारिश;

एक्स

एक्स

ए

क्स

(i) किसी विश्वविद्यालय से ऐसी जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा करता है जो हो सके विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति से संबंधित आवश्यकता होगी या

उस में की गई शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन

विश्वविद्यालय, संबंधित सभी नियमों और विनियमों के साथ

उस विश्वविद्यालय में शिक्षण और परीक्षा के मानक

शिक्षा की ऐसी प्रत्येक शाखा का सम्मान करना;

यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 22 विश्वविद्यालय के अधिकारों से संबंधित है।

डिग्री प्रदान करने के लिए मानित विश्वविद्यालय/संस्थान और इसकी उप-धारा (1) निम्नानुसार हैः

“ 22. डिग्री प्रदान करने का अधिकार। — (1) प्रदान करने का अधिकार या

डिग्री प्रदान करने का प्रयोग केवल स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत निगमित किया गया हो। राज्य
अधिनियम या धारा के तहत विश्वविद्यालय माना जाने वाला संस्थान

3 या संसद के किसी अधिनियम द्वारा विशेष रूप से सशक्त संस्था

उपाधियाँ प्रदान करना या प्रदान करना। अन्नामलाई विश्वविद्यालय (ऊपर) में, मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, यह

आयोजित किया गया था, एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित करने और शामिल करने के लिए अधिनियमित किया गया था

देश के शैक्षिक स्वरूप में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों की शुरुआत और संवर्धन के लिए और ऐसी प्रणाली में मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर। इस तर्क को दर्ज करते हुए कि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम पारंपरिक प्रणाली की कठोरता को कम करता है जिसमें कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता होती है जो कई शिक्षार्थियों को हतोत्साहित करती है, अन्नामलाई विश्वविद्यालय (ऊपर) में इस न्यायालय ने यू. जी. सी. अधिनियम और यू. जी. सी. की भूमिका का उल्लेख करते हुए, निम्नलिखित रूप में देखा गया थाः

विनित गार्ग और अन्य बनाम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य [संजीव खन्ना, जे.]

" 40. यू. जी. सी. अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत शक्ति

भारत का संविधान जबकि मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम

संसद द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था उसकी सूची III की प्रविष्टि 25। तिरस्कार का प्रश्न

अतः उक्त दोनों अधिनियमों के प्रावधान उत्पन्न नहीं होते हैं।

शिक्षा के अवसर। प्रणाली अन्य बातों के साथ-साथ कठोर है। कक्षाओं में उपस्थिति का सम्मान। विषयों का संयोजन

वे भी लचीले नहीं हैं।

41. क्या ओपन के तहत वैकल्पिक प्रणाली की परिकल्पना की गई थी

सवाल करते हैं। हमारी राय में, शिक्षा का स्तर सुनिश्चित करने के मामले में ऐसा नहीं है। एक औपचारिक प्रणाली के बीच अंतर और अनौपचारिक प्रणाली उस तरीके और तरीके से है जिसमें

शिक्षा दी जाती है। यू. जी. सी. अधिनियम लागू किया गया था

समन्वय और मानकों के निर्धारण को प्रभावी बनाना

विश्वविद्यालय। वह उद्देश्य और उद्देश्य जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था

पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए।

42. यू. जी. सी. अधिनियम के प्रावधान सभी विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हैं।

धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ई), (एफ), (जी) और (एच) के संदर्भ में इसके द्वारा बनाए गए विनियम व्यापक आयाम के हैं। वे विश्वविद्यालयों को खोलने के साथ-साथ औपचारिक रूप से भी समान रूप से लागू होते हैं।

पारंपरिक विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा के मामले में, यह

निर्देशों के न्यूनतम मानकों को बनाए रखना आवश्यक है।

निर्देशों के ऐसे न्यूनतम मानकों की आवश्यकता है -

यू. जी. सी. द्वारा परिभाषित मानकों और समन्वय

विश्वविद्यालयों में कार्य या सुविधाओं को बनाए रखा जाना चाहिए और

उस उद्देश्य को विनियमित करने की आवश्यकता है। यू. जी. सी. के अधिकार

धारा 26 (1) (च) और 26 (1) (छ) के तहत प्रकृति में बहुत व्यापक हैं।

[.....] "

8. अन्नामलाई विश्वविद्यालय (ऊपर) एक पूर्ववर्ती का संदर्भ देता है।

तमिलनाडु राज्य में नहीं और एक अन्य वी। अधियामन

राष्ट्रीय और अनुसंधान संस्थान और अन्य 4 जिसमें यह न्यायालयसूची-I की प्रविष्टि 66 के तहत अभ्यास में संसद द्वारा यू. जी. सी. अधिनियम के अधिनियमन के संबंध में, निम्नानुसार देखा गयाः

" 41. उपरोक्त चर्चा से जो सामने आता है वह इस प्रकार हैः

(i) संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 66 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'समन्वय' का अर्थ केवल यह नहीं है

मूल्यांकन। इसका अर्थ है एक निश्चित अभिकल्पना, योजना या विकास की योजना के अनुसार एक ठोस कार्रवाई के लिए एक समान पैटर्न बनाने की दृष्टि से सामंजस्य स्थापित करना। इसलिए, इसमें न केवल मानकों में असमानताओं को दूर करने के लिए कार्रवाई शामिल है, बल्कि मानकों में असमानताओं को रोकने के लिए भी कार्रवाई शामिल है। इस तरह की असमानताओं की घटना। इसलिए, इसमें उन सभी चीजों को करने की शक्ति भी शामिल होगी जो 'समन्वय' को असंभव या कठिन बनाने से रोकने के लिए आवश्यक हैं। यह शक्ति निरपेक्ष और बिना शर्त और किसी भी वैध के अभाव में है।

सम्मोहक कारणों से, इसका पूरा प्रभाव इसके अनुसार दिया जाना चाहिए

स्पष्ट और स्पष्ट इरादा "।

उस्मानिया विश्वविद्यालय के शिक्षकों का भी उल्लेख किया गया।

सिएशन वी। आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य राज्य जहां यू. जी. सी. अधिनियम के तहत यू. जी. सी. को सौंपी गई जिम्मेदारी के साथ,

एस निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 30. भारत का संविधान संसद को विशेष अधिकार देता है।

उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के संबंध में प्राधिकरण। संसद ने इस उद्देश्य के लिए यू. जी. सी. अधिनियम लागू किया है। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश के शैक्षणिक जीवन को आकार देने में बड़ी भूमिका निभानी है। यह विश्वविद्यालयों में उच्च मानक बनाए रखने के अपने कर्तव्य में विफल या विफल नहीं होगा। लोकतंत्र अपने जीवन के लिए उच्च मानक या सामान्य, व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा पर निर्भर करता है। अनुशासन के साथ नए ज्ञान की खोज के साथ सीखने का प्रसार हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए। यह आशा की जाती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका विधिवत निर्वहन करेगा।

राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व और देश के शैक्षणिक जीवन में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए बढ़ती भूमिका निभाना।

विश्वविद्यालय "।

9. तदनुसार, अन्नामलाई विश्वविद्यालय (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

जी. सी. अधिनियम मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम पर प्रबल होगा, जिसमें कहा गया हैः

" 59. यू. जी. सी. अधिनियम के प्रावधान मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं। यह किसी भी संदेह से परे है कि यू. जी. सी. अधिनियम ओपन पर हावी होगा।

7) 4 एस. सी. सी. 671 विनित गारग और अन्य बनाम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य [संजीव खन्ना, जे.]

विश्वविद्यालय अधिनियम। हालाँकि, यह तर्क दिया गया है कि ओपन

विश्वविद्यालय अधिनियम एक बाद का अधिनियम है। लेकिन हमने देखा है

इससे पहले नोडल मंत्रालय दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के बारे में जानता था। मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के बाद लगभग उसी समय विनियम बनाए गए थे।

विनियमों को बाद में तैयार किया गया था।

निर्विवाद रूप से, विनियम अपने दायरे में शामिल हैं -

मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामले भी।

10. उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I, संदर्भ

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1989 (इसके बाद 'ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) में बनाया गया था और ए. आई. सी. टी. ई. के कार्यों का पालन करने के लिए क्रमशः धारा 2 (जी) और 2 (एच) में परिभाषित 'तकनीकी शिक्षा' और 'तकनीकी संस्थान' के बीच अंतर किया गया था। ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 10 के उपखंड (ए), (डी), (ई), (एफ), (1) और (एन) के तहत निर्धारित 'तकनीकी' के व्यापक पहलुओं से संबंधित हैं।

शिक्षा ', जबकि उपखंड (के), (एम), (पी) और (क्यू) के तहत गिने गए कार्य' तकनीकी संस्थानों 'से संबंधित मामलों से संबंधित हैं और उपखंड (छ) और (छ) में निर्धारित कार्य 'तकनीकी संस्थानों' और 'तकनीकी शिक्षा' प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों दोनों पर लागू होते हैं। धारा 10 के उपखंड (बी), (डी) और (एफ) अन्य बातों के साथ-साथ देश में सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा के समन्वय से संबंधित हैं।

इसलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 'तकनीकी संस्थान' शब्द किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय को बाहर कर देगा या नहीं। पाठ्यक्रम की सामग्री क्या होनी चाहिए, किन विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए और पाठ्यक्रमों की लंबाई और अवधि क्या होनी चाहिए और साथ ही उन पाठ्यक्रमों को संचालित करने का तरीका 'तकनीकी शिक्षा' की व्यापक अवधारणा का एक हिस्सा है। उस क्षेत्र में कोई भी विचार या नवाचार भी 'तकनीकी शिक्षा' की अवधारणा का एक हिस्सा है और सिद्धांत रूप में, इसके अनन्य क्षेत्र में होना चाहिए। ए. आई. सी. टी. ई.

11. तदनुसार, उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम में न्यायालय

लिमिटेड-मैंने भारतीदासन विश्वविद्यालय [2019] 12 एस. सी. आर. में निर्णय को प्रतिष्ठित किया।

(उपर्युक्त), जिसने 'तकनीकी संस्थान' शब्द के अर्थ पर खंड 2 (एच) की परिभाषा पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि राज्य के कानून के तहत स्थापित एक मानित विश्वविद्यालय एआईसीटीई की किसी भी मंजूरी के बिना 'तकनीकी शिक्षा' में पाठ्यक्रम शुरू करने का हकदार है। यह भारतीदासन विश्वविद्यालय (उपरोक्त) के आवेदन को स्वीकृत और अनुमत पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों से जुड़े पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों तक सीमित करके किया गया था, न कि नए और विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों तक।

B.Tech के पुरस्कार जैसे कार्यक्रम। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से डिग्री। बी. टेक डिग्री प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में ए. आई. सी. टी. ई. और दूरस्थ शिक्षा की भूमिका पर, यह उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन में आयोजित किया गया था। सीमित-I वहः

" 48. डिग्री प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा

इंजीनियरिंग में सिद्धांत के साथ-साथ व्यावहारिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं। व्यावहारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा की रीढ़ है जो व्यावहारिक दृष्टिकोण है जिसमें प्रदर्शनकारियों या व्याख्याताओं की निगरानी में सिद्धांत रूप में पढ़ाए जाने वाले सिद्धांतों का वास्तविक अनुप्रयोग शामिल है। सैद्धांतिक कक्षाओं में आमने-सामने ज्ञान प्रदान करने को व्यावहारिक कक्षाओं में मजबूत किया जाना है। व्यावहारिक, इस प्रकार, तकनीकी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यदि तकनीकी शिक्षा को एक गुणात्मक मानक के रूप में प्रदान करने की इस स्थापित अवधारणा को संशोधित या परिवर्तित किया जाना है और किसी दिए गए मामले में इसे दूरस्थ शिक्षा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है, तो एक अवधारणा के रूप में एआईसीटीई को इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए था। यदि तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के नियमित पाठ्यक्रम को किसी भी तरह से संशोधित या बदला जाना है, तो किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए, यह अकेले ए. आई. सी. टी. ई. को तय करना है। निर्णय विशिष्ट होना चाहिए और असंदिग्ध और केवल मामले में किसी भी दिशानिर्देश के अभाव के कारण अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा ऐसा कोई निर्णय कभी व्यक्त नहीं किया गया। दूसरी ओर, इसने हमेशा यह बनाए रखा है कि डिग्री प्राप्त करने वाले पाठ्यक्रम

इंजीनियरिंग को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। यह मुद्दा नहीं है कि वह दृष्टिकोण सही है या नहीं। वर्तमान उद्देश्यों के लिए, यदि ए. आई. सी. टी. ई. के अनुसार ऐसे पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा मोड में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, तो यह अंतिम शब्द है और बाध्यकारी है-जब तक कि कानून द्वारा ज्ञात तरीके से सुधार नहीं किया जाता है। यहां तक कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति भी तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एक लचीले, पैटर्न और कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर देती है, जो पैरा 619 में निर्धारित किया गया है कि एआईसीटीई योजना, निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

समानता बनाए रखने सहित मानदंडों और मानकों का प्रमाणीकरण और समन्वित और एकीकृत सुनिश्चित करना

तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा का विकास। हमारे देश में

देखें कि क्या इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने वाले विषय कर सकते हैं

दूरस्थ शिक्षा पद्धति में पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए

ए. आई. सी. टी. ई. का अनन्य क्षेत्र। के पहले अंग का जवाब

इसलिए हमारे द्वारा पूछा गया पहला सवाल स्पष्ट है कि बिना

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा उस ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इंजीनियरिंग में डिग्री पाठ्यक्रमों को स्पष्ट रूप से अनुमति देना दूरस्थ शिक्षा मोड, मानित विश्वविद्यालय थे

इस तरह के पाठ्यक्रम शुरू करना उचित नहीं है।

99

ऊपर दिए गए कथन से यह स्पष्ट है कि अनुमोदन

उपरोक्त पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. का पाठ्यक्रम अनिवार्य था। मान लीजिए, टी. आई. ई. टी., पटियाला द्वारा ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

12. अब हम यू. जी. सी. की मंजूरी के सवाल पर लौटेंगे।

उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I में, 'नई व्यवस्था की स्थापना के लिए दिशानिर्देश' के पैराग्राफ 4 और 5 का संदर्भ दिया गया था।

यू. जी. सी. द्वारा परिसर के भीतर विभाग, ऑफ-कैंपस सेंटर (ओं)/संस्थान (ओं)/ऑफ-शोर कैंपस की स्थापना और डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना (जिसे इसके बाद '2004 दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित किया गया है), जो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है, जो निम्नानुसार हैः

" 4. दूरस्थ शिक्षा। मानित विश्वविद्यालय हो सकता है

दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी. ई. सी.) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)। इस प्रकार, कोई भी अध्ययन

केंद्र को केवल विशिष्ट अनुमोदन के साथ खोला जा सकता है

दूरस्थ शिक्षा परिषद और यू. जी. सी.

5. पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन। मानित विश्वविद्यालयों को

छह महीने की अवधि के भीतर जो भी लागू हो निम्नलिखित मामलेः

I. परिसर में खोले गए सभी विभागों की निरंतरता

मानित विश्वविद्यालय और परिसर के बाहर अध्ययन केंद्र /

संस्थान/अपतटीय परिसर बिना पूर्व अनुमोदन के शुरू किए गए

यू. जी. सी.

II. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम/अध्ययन केंद्र शुरू किए गए

डी. ई. सी./यू. जी. सी. की विशिष्ट मंजूरी के बिना। "[2019] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैराग्राफ 4 यह स्पष्ट करता है कि 2004 के दिशानिर्देशों के बाद, प्रत्येक डीम्ड विश्वविद्यालय को यू. जी. सी. की मंजूरी की आवश्यकता होगी और

डी. ई. सी., ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से किसी भी डिग्री पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए। मंजूरी की शर्त अनिवार्य थी। यह याचिकाकर्ताओं या टी. आई. ई. टी., पटियाला का मामला नहीं है कि टी. आई. ई. टी. ने B.Tech के लिए यू. जी. सी. की पूर्व मंजूरी ली थी। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त डिग्री। पैराग्राफ 5 यू. जी. सी./डी. ई. सी. के पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन से संबंधित है।

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों/अध्ययन केंद्रों की निरंतरता शुरू की गई

यू. जी. सी./डी. ई. सी. की विशिष्ट मंजूरी के बिना। पैराग्राफ 5 वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि डिग्री पाठ्यक्रम 2004 के दिशानिर्देशों के अधिनियमन के बाद शुरू किए गए थे।

13. अनुच्छेद 4 के स्पष्ट उल्लंघन का सामना करना और जागरूक होना

2004 के दिशानिर्देशों और ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी के अभाव में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I के पैराग्राफ 49 पर भरोसा किया था, जो नीचे दिया गया हैः

" 49. अब हम पहले प्रश्न के दूसरे अंग की ओर बढ़ते हैं। 1994 के ए. आई. सी. टी. ई. विनियमों के तहत, कोई भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम नहीं होगा।

परिषद के अनुमोदन के अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग या महाविद्यालय सहित किसी भी तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया जाएगा। भारतीदासन ने उक्त घोषणा की

तकनीकी शिक्षा में किसी भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय को जिस हद तक अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वह विनियमन बुरा है। इसी विचार को ए. एस. एन. में बढ़ाया गया था। प्रबंधन का

निजी महाविद्यालयों का यह कहना कि विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय समान सुरक्षा के हकदार थे। सवाल यह है कि क्या

मानित विश्वविद्यालय भी इसी तरह के संरक्षण का हकदार है। इस मामले पर दो श्रेणियों में विचार किया जा सकता हैः

(क) पहली श्रेणी किसी मानित विश्वविद्यालय की हो सकती है, जो

तकनीकी विषय, अब उस क्षेत्र से एकीकृत रूप से जुड़े पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों को शुरू करने का इच्छुक है जिसके संबंध में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो इस क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के कारण

डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, अब रोबोटिक्स या नैनो प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं जो इंजीनियरिंग विषय हैं और अपने स्वयं के क्षेत्र से एकीकृत रूप से जुड़े हुए हैं

उत्कृष्टता।

(ख) दूसरी श्रेणी एक मानित विश्वविद्यालय की हो सकती है जिसे उन विषयों में उत्कृष्टता के लिए ऐसा दर्जा दिया गया था जो उस क्षेत्र से पूरी तरह से असंबंधित हैं जिसमें नए पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग की जाती है। उदाहरण के लिए, ललित कला और संगीत पढ़ाने में लगी संस्था, उस चुने हुए क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के लिए-या उस मामले के लिए कानून पढ़ाने में लगी संस्था। इस तरह का दर्जा दिया गया था। क्या ऐसा मानित विश्वविद्यालय ए. आई. सी. टी. ई. के नियामक नियंत्रण से प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है और कह सकता है कि यह

क्या भारतीदासन में इस न्यायालय के निर्णय के बल पर इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम शुरू करने का अधिकार है?

उपरोक्त पैराग्राफ ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा जारी 1994 के विनियमों को संदर्भित करता है, जिसके तहत ए. आई. सी. टी. ई. के अनुमोदन के अलावा किसी भी तकनीकी संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा कोई पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकता है, जिसमें कोई मानित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग या कॉलेज शामिल है। में। भारतीदासन विश्वविद्यालय (ऊपर) 1994 के विनियमों के इस आदेश को इस हद तक खराब घोषित किया गया था कि इसके लिए विश्वविद्यालय को

तकनीकी शिक्षा में किसी भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अनुमोदन लें। एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट कॉलेज बनाम में भी यही राय व्यक्त की गई थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

और अन्य लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज समान सुरक्षा के हकदार हैं। इसके बाद उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I में मानित विश्वविद्यालयों की दो श्रेणियों-श्रेणी-I, यानी ऐसे मानित विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया जिन्हें तकनीकी विषयों के क्षेत्र में 'उत्कृष्टता' का दर्जा दिया गया है और वे उन विषयों के क्षेत्र के साथ 'एकीकृत रूप से जुड़े' पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने की इच्छा रखते हैं जिनके लिए उन्हें मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसे स्पष्ट करते हुए, न्यायालय ने उत्कृष्टता के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का उदाहरण दिया था जिसे सम्मानित किया गया है - विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो और अब रोबोटिक्स और नैनोटेक्नोलॉजी जैसे नए या विशेष विषयों में पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, जो विषय विश्वविद्यालय के अपने उत्कृष्टता के क्षेत्र से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। श्रेणी-II उन विश्वविद्यालयों में से होगी जिन्हें सम्मानित किया गया है।

विषयों में उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय का दर्जा माना जाता है, लेकिन वे उस क्षेत्र से असंबंधित नए पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें उत्कृष्टता का दर्जा दिया गया था। बाद की श्रेणी में, मानित विश्वविद्यालय

ए. आई. सी. टी. ई. के नियामक नियंत्रण से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं और करना चाहिए

ए. आई. सी. टी. ई. से अनुमोदन लें। पैराग्राफ 49, हम स्पष्ट करना चाहते हैं, विश्वविद्यालयों से संबंधित है, जिसमें मानित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं।

नियमित माध्यम से डिग्री पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए शिक्षा। यह अनुच्छेद विशेष रूप से संबंधित नहीं है या उसे कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है

दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय माना जाता है, भले ही

स्वीकृत नियमित पाठ्यक्रमों के साथ एकीकृत रूप से जुड़ा हुआ है।

14. पूर्वगामी विश्लेषण तब स्पष्ट हो जाता है जब हम उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I को पूरी तरह से पढ़ते हैं, विशेष रूप से

पैराग्राफ से तुरंत पहले, यानी ऊपर उद्धृत पैराग्राफ 48,

जिसमें यह विशेष रूप से निर्धारित और अनिवार्य किया गया है कि क्या

इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने वाले विषयों को दूर से पढ़ाया जाएगा।

शिक्षा पद्धति हो या न हो, यह ए. आई. सी. टी. ई. के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।

15. उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों और पूर्व की कमी को ध्यान में रखते हुए

यू. जी. सी. या ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी से हमें नहीं लगता कि टी. आई. ई. टी., पटियाला तकनीकी पाठ्यक्रमों में दूरस्थ मोड के माध्यम से स्नातक की डिग्री प्रदान करने में सक्षम था।

16. उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I में, न्यायालय ने उन छात्रों के बीच भी अंतर किया जिन्होंने इसमें प्रवेश लिया था।

दूरी के माध्यम से तकनीकी डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय माने जाते हैं

शैक्षणिक वर्ष 2001 से 2005 और उसके बाद 2005-2006 में सीखना।

विशिष्टता का कारण 2004 के दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 5 और यू. जी. सी. और डी. ई. सी. द्वारा मानित विश्वविद्यालयों को दी गई पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी थी जिन्होंने शैक्षणिक वर्षों में तकनीकी डिग्री प्रदान की थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि पूर्व-कार्योत्तर अनुदान की उक्त कवायद

अनुमोदन पूरी तरह से अनावश्यक और कानून के विपरीत और अवैध था।

तदनुसार, पूर्व पोस्ट फैक्टो अनुमोदनों को अलग रखा गया था

प्रदान की गई सभी इंजीनियरिंग डिग्री को वापस लेने के लिए परिणामी निर्देश

उक्त अनुमोदनों के अनुसार। हालांकि, सचेत है कि पूर्व पोस्ट

वास्तविक अनुमोदन 2004 के दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में थे, जबकि शैक्षणिक वर्ष 2001 से 2005 के दौरान नामांकित छात्रों को दी गई डिग्री को निलंबित करते हुए, न्यायालय ने इन छात्रों को संयुक्त रूप से इस तरह की परीक्षा में बैठने और उत्तीर्ण करने का अवसर दिया था।

ए. आई. सी. टी. ई.-यू. जी. सी. का पर्यवेक्षण। यह देखा गयाः

" 57. [टी] इस मामले पर कुछ सहानुभूति के साथ विचार करने की आवश्यकता है ताकि उन छात्रों का हित जो इस दौरान नामांकित हुए थे

शैक्षणिक सत्र 2001-2005 सुरक्षित है।

हालाँकि हम वी. आई. एन. आई. टी. गारग और अन्य वी. नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य [संजीव खन्ना, जे.]

संबंधित छात्र हमें उक्त पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन के अनुसरण में दी गई इंजीनियरिंग में सभी डिग्री को वापस लेने का सहारा नहीं लेने के लिए राजी करते हैं। हालांकि, तथ्य यह है कि संबंधित अध्ययन केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं की कभी जांच नहीं की गई और न ही कोई निरीक्षण किया गया। इतने समय तक किसी भी निरीक्षण का आदेश देना संभव नहीं है। लेकिन संबंधित छात्रों की योग्यता के बारे में विश्वास और आश्वासन होना चाहिए। इसलिए हम संबंधित छात्रों को अधिकारियों द्वारा उनकी क्षमता का परीक्षण करने का कुछ मौका देना उचित समझते हैं।
उस ओर से सक्षम। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2001 से 2005 के दौरान नामांकित छात्रों को दी गई इंजीनियरिंग की सभी डिग्री तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि वे एआईसीटीई-यूजीसी की संयुक्त देखरेख में इस तरह की परीक्षा को आगे बताए गए तरीके से पास नहीं कर लेते। इसके अलावा, हर एक लाभ

उस डिग्री के आधार पर भी निलंबित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त निर्देश मानित विश्वविद्यालयों द्वारा भर्ती/भर्ती किए गए उम्मीदवारों को दी गई किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री के संबंध में नहीं थे।

शैक्षणिक वर्ष 2004-2005 के बाद नामांकित। शैक्षणिक वर्ष 2004-2005 के बाद नामांकित छात्रों के लिए किसी भी डिग्री का अनुदान कानून के विपरीत और अवैध माना जाता था, और इसे नियमित और नियमित डिग्री के बराबर नहीं माना जा सकता था। अतः अनुच्छेद 49 याचिकाकर्ताओं के लिए कोई लाभप्रद नहीं होगा।

17. हम मुकदमे के दूसरे दौर का भी उल्लेख करेंगे क्योंकि स्पष्टीकरण और संशोधन के लिए आवेदन दायर किए गए थे।

उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I में निर्देश। उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम में 22 जनवरी, 2018 का निर्णय। रबी शंकर पात्रो और अन्य (इसके बाद 'उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-II' के रूप में संदर्भित) ने कई निर्णय लिए थे।

डिप्लोमा धारकों के आवेदन जिन्होंने इंजीनियरिंग या B.Tech के लिए नामांकन किया था। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में डिग्री। आवेदनों में उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान करने वाले मानित विश्वविद्यालय थे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के संस्थान नहीं हैं और इस प्रकार, उत्कृष्टता के संस्थान के रूप में घोषित मानित विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली इंजीनियरिंग डिग्री और अन्य मानित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री के बीच अंतर होगा। इस तर्क को इस तथ्य का उल्लेख करते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया गया कि उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I में विनायक मिशन के रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान की गई इंजीनियरिंग डिग्री को भी अमान्य घोषित कर दिया गया था, हालांकि उक्त संस्थान ने अपनी गतिविधि और उत्कृष्टता के क्षेत्र में इंजीनियरिंग का विषय शामिल किया था। आवेदकों द्वारा उठाई गई अन्य दलीलों पर विचार करते हुए, उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-II में न्यायालय ने कहा कि इसके अंतर्गतः

" 25. अब हम सभी विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए सामान्य निवेदन की ओर रुख करते हैं कि उम्मीदवारों ने दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद आगे बढ़ गए हैं।

वृत्ति और यह कि उनकी क्षमता का परीक्षण विभिन्न स्तरों पर किया गया था और निर्णय के संदर्भ में परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता को उनके मामले के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। हम इस तरह का कोई अपवाद नहीं बना सकते। उनके स्तर में दुर्बलता आधार और मौलिक है और इसे दूर नहीं किया जा सकता है। साथ ही, हम उनके प्रस्तुतिकरण में कुछ बल पाते हैं कि यदि उनकी डिग्री का निलंबन और सभी लाभ लागू होते हैं जैसा कि में संकेत दिया गया है

निर्णय लेने पर, संबंधित उम्मीदवार अपनी नौकरी खो सकते हैं और भले ही वे सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, उनकी नौकरी बहाल हो सकती है।

और वर्तमान स्थिति कुछ कठिनाई पैदा करेगी।

इसलिए, न्यायालय ने शैक्षणिक वर्ष 2001-2005 के दौरान अपना नामांकन कराने वाले उम्मीदवारों को एक बार की छूट देते हुए कहा कि उम्मीदवार, उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड I में निर्णय के संदर्भ में, परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा संचालित। 18. उपरोक्त अनुपात को देखते हुए, हम इस याचिका को खारिज करते हैं कि याचिकाकर्ता राहत के हकदार हैं जैसा कि उड़ीसा लिफ्ट में याचिकाकर्ताओं को दिया गया था

सिंचाई निगम लिमिटेड I और II। यह तर्क इस कारण से अस्वीकार्य है कि उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड I और II में, 2005 या उसके बाद प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को कोई राहत नहीं दी गई थी। ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के माध्यम से एक बार की छूट के रूप में उन उम्मीदवारों/छात्रों को राहत दी गई थी जिन्होंने 2001 से शुरू होकर आई. डी. 1 तक के शैक्षणिक वर्षों में प्रवेश लिया था।

19. टी. आई. ई. टी., पटियाला ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में डी. ई. सी. के साथ पत्राचार का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने B.Tech शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है। सिविल इंजीनियरिंग/कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/में पाठ्यक्रम

एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पाठ्यक्रम सामग्री के मूल्यांकन के बाद प्रदान किया जाता है और जिसके लिए टी. आई. ई. टी., पटियाला को आवश्यक शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना चाहिए। इसके बाद टी. आई. ई. टी., पटियाला ने आवश्यक प्रारूप में एक आवेदन प्रस्तुत किया था और डी. ई. सी. के अध्यक्ष द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने टी. आई. ई. टी., पटियाला द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे और अन्य सेवाओं आदि का मूल्यांकन किया था। विशेषज्ञ समिति, जिसमें निदेशक, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इग्नू शामिल थे, ने एक अनुकूल रिपोर्ट दी, जिसके बाद डी. ई. सी. द्वारा टी. आई. ई. टी., पटियाला को पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देते हुए 31 अगस्त, 2007 का अनंतिम मान्यता पत्र जारी किया गया। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा 23 मई, 2007 को जारी प्रेस नोट का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले मानित विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों की एक सूची प्रकाशित की गई थी। इस सूची में टी. आई. ई. टी. पटियाला भी शामिल था। 20. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, याचिकाकर्ताओं ने डी. ई. सी. द्वारा टी. आई. ई. टी., पटियाला को लिखे गए 3 सितंबर, 2007 के पत्र पर भी भरोसा किया है, जिसमें उन्हें दूरस्थ मोड के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों में एक वर्ष के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है। उक्त पत्र इस प्रकार हैः

" इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

मैनदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068, भारत

फोनः (0) 91-11-29535923-32 , 29533340 (ओ)

टेलीफैक्सः 91-11-295536668

ईमेलः basuswaraj@hotmail। कॉम

वेबसाइटः डब्ल्यू. डब्ल्यू. इग्नू। एसी। इन/डब्ल्यू. डब्ल्यू. डिस। एसी। में

डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल

एफ. नं. डी. ई. सी./विश्वविद्यालय/राज्य/07/5580

तारीखः 03.09.2007

प्रो. स्वराज बसु

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपः अस्थायी मान्यता

प्रिय महोदय,

यह दूरस्थ शिक्षा के लिए आपके आवेदन का संदर्भ है।

परिषद आपके विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ मोड के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों की मान्यता के लिए अनुरोध करती है।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आपके विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी गई है

इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक साल की अवधि के लिए दूरस्थ मोड के माध्यम से कार्यक्रमों (आपके विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों द्वारा अनुमोदित) की पेशकश के लिए अस्थायी मान्यता।

हालाँकि, पेशकश के लिए आपके संस्थान की मान्यता के लिए

अगले शैक्षणिक वर्ष में दूरस्थ मोड के माध्यम से कार्यक्रम, अर्थात

जून-जुलाई, 2008 में आपसे अनुरोध है कि आप डी. ई. सी. द्वारा विकसित निर्धारित प्रारूप में एक नया आवेदन जमा करें जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

डी. ई. सी. वेबसाइट सेः डब्ल्यू. डब्ल्यू. डिस। एसी। में।

हम आपको यह भी सूचित करना चाहते हैं कि डी. ई. सी. ने ऐसा नहीं करने का निर्णय लिया है।

दूरस्थ मोड के माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने में संस्थानों द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की अनुमति देने पर जोर देना और उस मामले पर, विश्वविद्यालयों को उनके अपने अधिनियमों और कानूनों द्वारा शासित किया जाना चाहिए।

संबंध में,

आप

की ईमानदारी से

एसडी /

(स्

वराज बसु)

पटियाला-147004, पंजाब "

उपरोक्त पत्र में कहा गया है कि टी. आई. ई. टी., पटियाला ने

डी. ई. सी. को दूरस्थ मोड के माध्यम से प्रस्तावित कार्यक्रमों की मान्यता के लिए अनुरोध करने के लिए आवेदन और उन्हें ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश के लिए अस्थायी मान्यता दी गई थी। पत्र में लिखा है कि टी. आई. ई. टी., पटियाला द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के बारे में कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं दिया गया था और न ही उस तारीख का जब आवेदन दाखिल किए जाने का संकेत दिया गया है। पत्र में ए. आई. सी. टी. ई. या यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदन का भी उल्लेख नहीं है। टी. आई. ई. टी., पटियाला को जून-जुलाई 2008 से अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए एक नया आवेदन जमा करना था।

के 76, हौज खास, नई दिल्ली-110016 और जहां भी आवश्यक हो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, आई. जी. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली "।

स्पष्ट रूप से, इसलिए, उक्त अधिसूचना के संदर्भ में भी ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी की आवश्यकता थी। 22. टी. आई. ई. टी., पटियाला स्वीकार करता है कि अगले शैक्षणिक वर्ष, यानी जून-जुलाई 2008 के लिए कोई अस्थायी या अन्यथा मंजूरी नहीं दी गई थी, फिर भी B.Tech। शैक्षणिक वर्ष जून के लिए दूरस्थ मोड के माध्यम से डिग्री कार्यक्रम

जुलाई 2008 की पेशकश टी. आई. ई. टी., पटियाला द्वारा क़ानून और कानून के विपरीत की गई थी। 23. टी. आई. ई. टी., पटियाला ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में शैक्षणिक वर्ष 2008 2009 में प्रवेश को सही ठहराने के लिए पत्राचार और

बी. टेक की पेशकश के लिए यू. जी. सी. को आवेदन जमा करना। डिग्री पाठ्यक्रम

शैक्षणिक सत्र के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से अर्थात 2008-2009। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि टी. आई. ई. टी., पटियाला ने [2019] 12 एस. सी. आर. के लिए आवेदन नहीं किया था।

पिछले शैक्षणिक सत्र के लिए यू. जी. सी. अर्थात 2007-2008। इसके बाद, अतिरिक्त हलफनामा डी. ई. सी. और टी. आई. ई. टी., पटियाला के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार को संदर्भित करता है, जिसके अनुसार टी. आई. ई. टी., पटियाला द्वारा प्रस्तावित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के प्रशासन और प्रबंधन का आकलन करने के लिए यू. जी. सी., डी. ई. सी. और ए. आई. सी. टी. ई. के सदस्यों की एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने 2 जून, 2009 को उनके परिसर का दौरा किया था और पांच साल की अवधि के लिए सात कार्यक्रमों को मान्यता देने की सिफारिश की थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और एक नीतिगत निर्णय के संदर्भ में 29 जुलाई, 2009 को एक अधिसूचना जारी की थी कि B.Tech। मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से डिग्री की पेशकश नहीं की जाएगी। इस नीतिगत निर्णय को देखते हुए, डी. ई. सी. को विभिन्न संस्थानों को B.Tech आयोजित करने की अनुमति तुरंत वापस लेनी पड़ी। दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से डिग्री पाठ्यक्रम और वर्तमान वर्ष और उसके बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया था। हालांकि, अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लोगों को पहले ही भर्ती किया जा चुका है, उन्हें व्यावहारिक और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

B.Tech प्राप्त करने के लिए निर्धारित। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री।

24. याचिकाकर्ताओं और टी. आई. ई. टी., पटियाला की दलीलें कई घटनाक्रमों, पत्राचार और नीतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करती हैं।

28 नवंबर, 2005 को स्पष्ट रूप से यह कहते हुए कि सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/निजी संस्थान का कोई भी तकनीकी संस्थान, चाहे वह किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो या नहीं, नए पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगा या प्रवेश में वृद्धि नहीं करेगा ए. आई. सी. टी. ई. की मंजूरी के बिना उसी के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल, 2006 को यू. जी. सी. अधिनियम की धारा 20 (1) और ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत केंद्र सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना में यू. जी. सी. और ए. आई. सी. टी. ई. की भूमिका को स्पष्ट किया गया था।

शिक्षा के मानक और यह कि मानित विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों के लिए ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को बनाए रखना

उक्त परिषद के अधिकार क्षेत्र के भीतर पाठ्यक्रम। इसके बाद 4 फरवरी, 2007 को ए. आई. सी. टी. ई., यू. जी. सी. और डी. ई. सी. द्वारा निम्नलिखित प्रभाव से एक संयुक्त सार्वजनिक सूचना जारी की गईः

" यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) के संज्ञान में आया है। और दूरस्थ शिक्षा परिषद (डी. ई. सी.), कि कुछ विश्वविद्यालय, विनित गारग और अन्य बनाम।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य [संजीव खन्ना, जे.]

मानित विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान संबंधित सांविधिक परिषद की मंजूरी के बिना 'दूरस्थ मोड' में तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम पेश कर रहे हैं।

सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, मानद विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को इस तरह के कार्यक्रम चलाने के लिए आगाह किया जाता है और अस्वीकृत के बारे में भ्रामक विज्ञापन देना

' दूरस्थ पाठ्यक्रम और अध्ययन कार्यक्रम, लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत गंभीर कार्रवाई को आकर्षित करेंगे, जिसमें मान्यता रद्द करना और संस्थागत अनुमोदन को वापस लेना शामिल है।

एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जनहित में डिग्री/डिप्लोमा या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले कई पाठ्यक्रम या कार्यक्रम हैं।

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन में अन्य पुरस्कार, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, एप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आदि जिन्हें 'डिस्टेंस मोड' में आयोजित करने के लिए उपयुक्त वैधानिक परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। यह भी दोहराया जाता है कि अध्ययन के सभी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम

' डिस्टेंस मोड 'के लिए डी. ई. सी. की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक सूचना में आगाह किया गया था कि विश्वविद्यालयों/संस्थानों/मानित विश्वविद्यालयों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश की जाती है।

संबंधित वैधानिक अनुमोदन के बिना दूरस्थ शिक्षा मोड अधिकारी कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसा कर रहे थे और उनके साथ सख्त व्यवहार किया जाएगा। अधिसूचना के अंतिम वाक्य में यह स्पष्ट किया गया था कि संबंधित वैधानिक परिषदों के अलावा, सभी पाठ्यक्रम और

दूरस्थ मोड में अध्ययन के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए डी. ई. सी. की मंजूरी की आवश्यकता होगी। 10 मई, 2007 को यू. जी. सी., ए. आई. सी. टी. ई. और डी. ई. सी. के बीच देश में दूरस्थ और मिश्रित माध्यम से प्रदान की जा रही तकनीकी और सामान्य शिक्षा में उत्कृष्टता की खोज में घनिष्ठ सहयोग से काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

25. किसी भी मामले में उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I में इन पहलुओं और विवादों पर पूरी तरह से विचार किया गया था और यह माना गया है

कि B.Tech। डी. ई. सी. की मंजूरी के बिना और ए. आई. सी. टी. ई. और यू. जी. सी. की किसी विशिष्ट मंजूरी के बिना दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती थी और तीनों की मंजूरी के बिना ऐसी डिग्री प्रदान करना अमान्य था और इसे मान्यता नहीं दी जा सकती थी।

26. डी. ई. सी. के कामकाज की कई तिमाहियों में कड़ी आलोचना हुई है। 2006 तक डी. ई. सी. ने लगभग 45 [2019] 12 एस. सी. आर. को मंजूरी दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लगभग 200 आवेदनों में से 23 विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम

कार्यक्रम। 2007 में, डी. ई. सी. ने कार्यक्रम अनुमोदन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया और संस्थागत मान्यता की प्रणाली शुरू की गई। इस निर्णय के अनुसार, संस्थान के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित सभी कार्यक्रम थे -

डी. ई. सी. की मान्यता माना जाता है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, कम समय के भीतर, 2010 में अनुमोदित कार्यक्रमों की संख्या बढ़कर 3000 से अधिक हो गई। डी. ई. सी. के अनंतिम मान्यता पत्र में समान रूप से कहा जाएगा कि ऐसे कार्यक्रम शुरू करने से पहले,

अन्य नियामक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है लेकिन अधिकांश मामलों में उक्त शर्त का पालन नहीं किया गया था और डी. ई. सी. द्वारा तकनीकी कार्यक्रमों को ए. आई. सी. टी. ई. या यू. जी. सी. की मान्यता/अनुमोदन के बिना दूरस्थ मोड के माध्यम से अस्थायी मान्यता दी गई थी। इसने व्यावसायीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था और यह एक प्रतिगामी कदम था जिसके परिणामस्वरूप मुक्त शिक्षा कार्यक्रमों/डिग्री की गुणवत्ता में गिरावट आई थी। अपनी उंगलियों को जलाने के बाद, डी. ई. सी. कार्यक्रम की मान्यता पर वापस चला गया।

डी. ई. सी. को अंततः 2013 में समाप्त कर दिया गया था।

27. उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड-I में, इस न्यायालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29 दिसंबर, 2012 को जारी किए गए आदेश पर ध्यान दिया, जिसमें माधव मेनन समिति की रिपोर्ट में दूरस्थ मोड के माध्यम से प्रदान की जा रही शिक्षा के मानकों को विनियमित करने के लिए सुझाए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह माना गया कि डी. ई. सी. की एकतरफा मंजूरी अमान्य थी। यह देखा गयाः

" 55. डी. ई. सी. का गठन करने वाली 22.11.1991 की अधिसूचना के पैरा 3 से पता चलता है कि किसी भी सदस्य या सदस्य के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

ए. आई. सी. टी. ई. के प्रतिनिधि। इग्नू अधिनियम के प्रावधान दर्शाते हैं

कि इग्नू अधिनियम में परिभाषित अध्ययन केंद्र इग्नू के हैं न कि किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्थान के। धारा 5 के उपखंड (v) के तहत दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा भी इग्नू के शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में है। निस्संदेह इसके पास खंड (vii), (xiii) और (xiiii) के तहत अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने की शक्तियां हैं, लेकिन इग्नू अधिनियम कहीं भी इग्नू को अधिकार नहीं देता है।

देश भर में और इसके संबंध में दूरस्थ शिक्षा के पूरे क्षेत्र का नियंत्रक प्राधिकरण होना

अन्य विश्वविद्यालयों या संस्थानों के कार्यक्रम भी। आदेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 29.12.2012 ने इसलिए सही ढंग से सराहना की कि इग्नू अधिनियम के क़ानून 28 के तहत बनाया गया डी. ई. सी. अन्य विश्वविद्यालयों के लिए नियामक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। मामले की किसी भी स्थिति में, विनित गार्ग और अन्य बनाम।

समय-समय पर जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि अकेले डी. ई. सी. मुक्त दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति देने का हकदार नहीं था और हमेशा आवश्यक अधिकारियों से उचित अनुमति की आवश्यकता होती थी और इस पर जोर दिया जाता था। इस तरह के नीतिगत बयानों के बावजूद, डी. ई. सी. ने ए. आई. सी. टी. ई. से परामर्श किए बिना भी अनुमति देना जारी रखा। डी. ई. सी. की ओर से इस तरह की कवायद पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना थी।

अदालत ने कहा कि उक्त आदेश ने निश्चित रूप से यू. जी. सी. ए. आई. सी. टी. ई. को, अन्य वैधानिक नियामकों के साथ, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को विनियमित करने की शक्तियों के साथ निहित किया था और इस तरह के पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के इच्छुक संस्थानों के लिए इसे अप्रभावी बना दिया था।

" [केंद्र सरकार यू. जी. सी. 1956 की धारा 20 की उप-धारा 1 और ए. आई. सी. टी. ई. अधिनियम, 1987 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निर्देश देती हैः -

यू. जी. सी. और ए. आई. सी. टी. ई. पहले से ही उनके अधीन अधिकार प्राप्त हैं।

संबंधित अधिनियम, क्रमशः मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से उच्च शिक्षा (तकनीकी शिक्षा को छोड़कर) और तकनीकी शिक्षा के लिए एक नियामक के रूप में भी कार्य करेंगे, विश्वविद्यालयों को अपने संबंधित अधिनियम के तहत पारंपरिक मोड में तकनीकी शिक्षा सहित किसी भी कार्यक्रम पाठ्यक्रम की पेशकश करने का अधिकार है। हालाँकि, यदि वे ओडीएल मोड में कोई कार्यक्रम/पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, तो उन्हें यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई और शिक्षा के पारंपरिक मोड के अन्य ऐसे नियामकों से मान्यता की आवश्यकता होगी।

अध्ययन के क्षेत्र "।

28. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, इसमें

मामले में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जैन

लिखित याचिका खारिज

कर दी गई।